संख्या 18/1/2017-स्थापना-IX/ 3223-25

भारत सरकार

केंद्रीय जल आयोग

***

कमरा संख्या 308, सेवा भवन,
आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली,
दिनांक 15, नवम्बर, 2017

सेवा मे,

श्री शाहिद अख्तर,
4060, सैक्टर-4 B, आकाशगंगा अपार्टमेंट,
वसुंधरा, गाज़ियाबाद-201012

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री शाहिद अख्तर, 4060, सैक्टर-4 B, आकाशगंगा अपार्टमेंट, वसुंधरा, गाज़ियाबाद-201012 से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र (Regn No.- CWCND/R/2017/80152 दिनांक 02.11.2017 जो मंत्रालय से Regn No- MOWRC/R/2017/00294 द्वारा स्थानांतरित किया गया है) जो कि स्थापना नौ अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग मे 07.11.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ मे मांगी गई सूचना का उत्तर इस प्रकार है-

मद सं	**मांगी गई सूचना**	**दी जाने वाली सूचना**
1.	बताने का कष्ट करे कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो मे अनुबंध पर रखे गए/ कार्य कर रहे कर्मचारियो/ अधिकारियों की कार्य अवधि और मानदेय/ वेतन सहित उनकी सूची देने का कष्ट करे।	केंद्रीय जल आयोग का स्थापना-IX अनुभाग केवल आयोग के स्टाफ कार ड्राइवर का ही कैडर नियंत्रण करता है। इस अनुभाग से सम्बंधित, जहा तक स्टाफ कार ड्राइवर का सम्बन्ध है, स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर अनुबंध पर किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया है।
2.	इन कर्मचारियो/ अधिकारियों की पंजीकृत नियोक्ता एजेंसियों के नाम व पते सहित सूची तथा उन्हे मिलने वाले कमीशन का ब्योरा दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
3	बताने का कष्ट करे कि पाँच वर्ष से रिक्त पड़े पदो पर नियुक्ति की नीति की जानकारी दे। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो मे ऐसे कितने रिक्त पद है। पद व रिक्त अवधि सहित इनकी सूची दे। बताने का कष्ट करे कि ऐसे पाँच साल से रिक्त चले आ रहे समाप्त किए गए पदो कि सूची देने का कष्ट करे।	केंद्रीय जल आयोग का स्थापना-IX अनुभाग केवल आयोग के स्टाफ कार ड्राइवर का ही कैडर नियंत्रण करता है। स्टाफ कार ड्राईवर केडर मे 4 पद पिछले पाँच वर्ष से रिक्त है।
4	विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो मे वैसे कर्मचारियो और अधिकारियों की जानकारी देने का कष्ट करे कि जिनका पद तो कुछ और है और उनसे काम कुछ और लिया जा रहा है। कार्यकाल व वेतन सहित ऐसे कर्मचारियो व अधिकारियों की सूची दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।

5	बताने का कष्ट करे कि मुख्य श्रमायुक्त श्री बी.के.सॉवरिया कि तारीख 23 जनवरी, 2013 को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो मे काम करने वाले अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियो/ अधिकारियों से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्यवाई का ब्योरा दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
6	बताने का कष्ट करे कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो मे पंजीकृत सेवा प्रदात्री कंपनियो के अतिरिक्त भी अनुबंध पर कर्मचारियो व अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगर हाँ तो इनकी सेवा का संचालन जिन नियमो के तहत किया जा रहा है, उनकी जानकारी दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
7	अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 की धारा 12,10 और 7 का पूरी तरह विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो का पालन करने कि जानकारी देने का कष्ट करे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।
8	विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो द्वारा अनुबंध पर रखने के लिए अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 की धारा 2(1)(जी) के तहत प्रधान नियोक्ताओ कि सूची पता व पद सहित देने का कष्ट करे। साथ ही यह भी बताए कि किन किन कार्यो के लिए कर्मचारी व अधिकारी अनुबंध पर रखे गए है। इन कार्यो मे अनुबांध पर लोगो को रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी करने कि जानकारी दे।	केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना नौ अनुभाग से सम्बंधित नहीं है।

2. उपरोक्त प्रदान कि गई सूचना से संतुष्ट न होने कि स्थिति मे, उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, आप अपनी प्रथम अपील श्री एल बी टौल्टे, निदेशक (स्थापना-1), कमरा संख्या 321, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को भेज सकते है।

भवदीय,

(महेश यादव)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय
लोक सूचना अधिकारी,
दूरभाष-29583344

प्रति:

1. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को उनके पत्राचार संख्या A-49012/8/2017/RTI/370 दिनांक 03.11.2017 के सन्दर्भ में।
2. DD(SMD) को इस पत्र की प्रतिलिपि आयोग की वैबसाइट मे RTI पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

अखिल 17.11.17 अपलोड करें

SMD अनु./Sec./निदे./Dte. डा. सं./Dy. No. 362 दिनांक/Date 21-11-17